Regarding need to ensure the return of Indian child from Germany who was taken away from her parents by Child Protection Services-Laid

नरेश गणपत म्हस्के **(ठाणे) :** 3.5 साल की बच्ची अरिहा शाह जब 7 माह की थी, तब जर्मनी में फोस्टर केयर होम द्वारा उसे माता-पिता से छीन लिया गया था । आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बच्ची को चोट पहुंचाई हैं । हालांकि, पुलिस जांच में आरोप साबित नहीं हो पाए लेकिन जर्मनी के यूथ वेलफेयर ऑफिस (जुगेंडमट) ने बच्ची को वापस करने से इनकार कर दिया । बच्ची 36 महीने से ज्यादा समय से जर्मनी की कस्टडी में फॉस्टर केयर में रह रही है । सितंबर 2021 के बाद से ही यह परिवार अरिहा की कस्टडी के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है लेकिन उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा । अरिहा शाह एक जैन समाज के अभिभावक की बच्ची है और जर्मन पालक देखभाल में रखे जाने से उसके सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है । बच्ची के माता पिता ने जर्मन सरकार से लेकर भारत सरकार तक मदद की गुहार लगाई है और उनकी अपील है कि अरिहा को गुजरात चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी की कस्टडी में लाया जाए । अहमदाबाद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने अरिहा के लिए एक फोस्टर परिवार ढूंढ लिया है । मैं माननीय विदेश मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस मामले में गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए, जर्मनी सरकार से संवाद करके अरिहा शाह को जल्दी से जल्दी भारत लाने की कृपा करें ।